रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2607] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2014/अग्रहायण 28, 1936
No. 2607] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2014/AGRAHAYANA 28, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2014
(आयकर)

का.आ. 3243(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का सं. 23), की धारा 97 की उप-धारा (2) और धारा 109 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 22 जून, 2005 की अधिसूचना, जिसे का.आ. 876(अ), दिनांक 22 जून, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ (i) में शब्द, अंक और कोष्ठक "रेंज 7(1)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "रेंज 7 (2)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना संख्या 82/2014/फा.सं. 187/46/2014-आयकर नि-I]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th December, 2014
(Income-tax)

S.O. 3243(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 97 and section 109 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (No. 23 of 2004) read with sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby amends the notification of the Ministry of

Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes), dated the 22nd June, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 876(E), dated the 22nd June, 2005, namely :—

In the said notification, in paragraph (i), for the word, figures and brackets "Range 7(1)", the word, figures and brackets "Range 7(2)" shall be substituted.

[Notification No. 82/2014/F. No. 187/46/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 3244(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 26 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना, जिसे का.आ. 1615(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कॉलम (4) में-

(i) शब्द और कोष्ठक "(रामनगर जिले से भिन्न" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "(जिलों से भिन्न" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) कोष्ठक और शब्द "(कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "(कोलार, चिक्काबल्लापुर जिलों से भिन्न" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[अधिसूचना संख्या 83/2014/फा. सं. 187/19/2014-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2014

(Income-tax)

S.O. 3244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes), dated the 26th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1615(E), dated the 26th September, 2006, namely : -

In the Schedule to the said notification, in column (4), -

(i) for the bracket and words "(other than the districts of Ramanagar", the bracket and words "(other than the districts of" shall be substituted;

(ii) for the bracket and words "(other than the districts of Kolar, Chikkaballapur, Ramanagar", the bracket and words "(other than the districts of Kolar, Chikkaballapur," shall be substituted.

[Notification No. 83/2014/F. No. 187/19/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.